

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)1(6)अलेसे III / 12171-12190

दिनांक :- 02/12/2015

आदेश संख्या : 148/2015-16

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 में सफल घोषित एवं आयोग द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन - भत्तों पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email - jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें :-

क्र.स.	लिक नं.	नाम (सर्वश्री) - पिता का नाम - रोल न. - मेरिट क्रमांक	श्रेणी	जन्मतिथि	पदस्थापन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	9788	संदीप कुमार राठोड़ - भगवान दास - 100830 - 83/2011	अनुसूचित जाति	22/04/1979	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, गोगुन्दा, उदयपुर - 20548
2	9793	माल चंद - मदन लाल - 401716 - 84/2011	अनुसूचित जाति	20/08/1986	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, भीम, राजसमंद - 20539
3	9792	संजय लाल बैरवा - रंगी लाल बैरवा - 712971 - 87/2011	अनुसूचित जाति	22/12/1981	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, मांगरोल, बारां - 9417
4	9795	अमरीक सिंह - सुरेन्द्र पाल सिंह - 303386 - 88/2011	अनुसूचित जाति	08/05/1982	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, रायसिंहनगर, श्री गंगानगर - 20543
5	9794	बरदी चंद ऐरवाल - देवा राम - 104770 - 91/2011	अनुसूचित जाति	12/08/1973	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, गंगरार, चित्तौड़गढ़ - 6834
6	9791	वीरी सिंह - नत्था सिंह - 707922 - 92/2011	अनुसूचित जाति	20/10/1978	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, बसेड़ी, धौलपुर - 11694

- इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा / सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
- अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग - I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

- 7 यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
- 8 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर है परन्तु राज्य सरकार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण अर्हता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिये उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थाई रिक्त पद प्राप्त होंगे इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
- 9 उक्त नियुक्तियाँ माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन होंगी।
- 10 यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियाँ एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। अभ्यर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
- 11 उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- F4(ई)1(6)अलेसे III / 12171-12190

दिनांक :- 02/12/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
2. शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से बिन्दु संख्या 4 में अंकित संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावें।
5. श्री संदीप कुमार राठोड़ - भगवान दास, 1/64 दीप कुंज" साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड गणेश पुरा रोड, ब्यावर, अजमेर - 305901
6. श्री माल चंद - मदन लाल, ग्राम पोस्ट चौसली, डेगाना, नागौर - 341503
7. श्री संजय लाल बैरवा - रंगी लाल बैरवा, C-96 बजाज नगर, जयपुर - 302015
8. श्री अमरीक सिंह - सुरेन्द्र पाल सिंह, केयर ऑफ़ वर्मा स्टेशनरी मार्ट, बस स्टैंड के पास, केसरी सिंह पुर, करनपुर, श्री गंगानगर - 335001
9. श्री बरदी चंद ऐरवाल - देवा राम, EL-32 हैप्पी डेज स्कूल के सामने, आज़ाद नगर, भीलवाडा - 311001
10. श्री बीरी सिंह - नत्था सिंह, जाटव मोहल्ला तहसील पोस्ट नगर, भरतपुर - 321205
11. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक।
12. उपनिदेशक (एसीपी) को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
13. रक्षित/निजी पत्रावली।

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)